

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 164/वित्त/चार/ब-2/2011  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2011

प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:-जल संसाधन विभाग के वार्षिक वित्तीय कार्यभार के मानदण्डों का निर्धारण।  
संदर्भ:-इस विभाग का पत्र क्रमांक 288/बी-2/वित्त/चार/2001 दिनांक 16.10.2001

--0--

राज्य शासन द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत रचनाओं के लिए संदर्भित पत्र द्वारा जारी वार्षिक वित्तीय कार्यभार मानदण्डों को एतद् द्वारा संशोधित करते हुए निम्नानुसार वार्षिक वित्तीय कार्यभार मानदण्ड निर्धारित किया जाता है :-


(` लाख में)

क.	कार्य विवरण	वार्षिक वित्तीय कार्यभार प्रति उपसंभाग
1.	अनुरक्षण एवं मरम्मत मध्यम व लघु सिंचाई योजना	180.00
2.	अनुरक्षण एवं मरम्मत वृहद् सिंचाई योजना (सी.सी.ए. 10,000 हेक्टेयर से अधिक)	240.00
3.	लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य	350.00
4.	मध्यम सिंचाई योजना निर्माण कार्य	600.00
5.	वृहद् सिंचाई योजना मुख्य नहर निर्माण कार्य	600.00
6.	वृहद् सिंचाई योजना बांध मुख्य (Head) निर्माण कार्य	900.00
7.	वृहद् सिंचाई योजना वितरक एवं शाखा नहर निर्माण कार्य	350.00
8.	लघु सिंचाई योजना* सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्य	1400.00
9.	मध्यम सिंचाई योजना* सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्य	2000.00
10.	वृहद् सिंचाई योजना* सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्य	3000.00

\* परियोजना लागत या उसका भाग जिसका पूर्ण सर्वेक्षण हो गया हो ।

2. जल संसाधन विभाग उपरोक्त वित्तीय कार्यभार के अनुसार वर्ष 2011-12 के बजट के आधार पर पदरचनाओं की समीक्षा कर युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव दिनांक 30 अक्टूबर 2011 तक वित्त विभाग को प्रेषित करें ।
3. एक संभाग के अंतर्गत न्यूनतम 4 उपसंभाग रखे जाएं ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(डॉ. ए.के. सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 165/वित्त/चार/ब-2/2011

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2011

**प्रतिलिपि:-**

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के स्टाफ ऑफिसर को सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सचिव को सूचनार्थ ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, सिविल लाइंस, रायपुर ।
6. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।
7. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।



(ऋषभ पाराशर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग